न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 101/18

कल्ला उर्फ सुरेंद्र पुत्र विशाल सिंह गुर्जर आयु 23 वर्ष जाति गुर्जर टाकुर निवासी ग्राम कंचन सिंह का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

9

पुलिस थाना गोहद

——-अनावेदक

27-03-18

आवेदक कल्ला उर्फ सुरेंद्र की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी / आपत्तिकर्ता बृजमोहन सिंह की ओर से श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

आरक्षी केंद्र गोहद से अप०क० 13 / 18 धारा 452, 323, 294, 506, 326, 34 भा०दं०सं० से संबंधित केंस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव ने संबंधित जेएमएफसी न्यायालय से आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 निरस्त हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और नहीं निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है वह निर्दोष है, बिल्क उसके व उसके परिवारीजन की फरियादी पक्ष द्वारा अत्यधिक मारपीट करके गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद पर की गई, जिस पर से अप०क0 14/18 धारा 323, 294, 506, 324, 34 भा०दं०सं० का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसी अपराध से बचने के लिये फरियादी पक्ष ने पुलिस से मिलकर झूंठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। आवेदक दिनांक 14.03.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय

लगेगा। आवेदकगण अपने परिवार में स्वयं कमाने वाले हैं यदि अधिक समय तक निरोध में रहा तो आवेदक का परिवार भूखा मर जावेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

फरियादी / आपित्तकर्ता बृजमोहन की ओर से व्यक्त किया है कि इस घटना के पूर्व भी अभियुक्तगण ने फरियादी के परिवार के सदस्यों के साथ अप्रिय घटना घटित की जिसका अपराध पंजीबद्ध होकर संचालित है। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं व धौंस देते हैं कि अभियुक्तगण की जमानत हो जाने पर झूंटा मुकदमा दर्ज करवाकर गांव से निकाल देंगे। अतः इन्हीं आधारों पर आवेदक का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार सभी पक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सिहत केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 29.01.18 को करीब 11:30 बजे फरियादी बृजमोहन अपने घर के पास बैठा था, तभी बृजेंद्र उर्फ लला, कल्ला उर्फ सुरेंद्र, कम्पो उर्फ रामभजन, रामहेत अपने अपने हाथों में लाठी व लुहांगी लाठी लिये आये और पुरानी रंजिश पर से उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो उसे मारने दौड़े तो वह अपने घर में घुस गया। उक्त सभी लोग उसके घर में घुस आये और रामभजन व रामहेत ने उसकी लाठियों से मारपीट की, जिससे उसके बायें हाथ की बीच वाली उंगली व पंजा तथा सिर में चोट होकर खून निकल आया। उसे बचाने उसका भाई केशव व भतीजा शिवम आया तो बृजेंद्र व कल्ला ने केशव व शिवम की लाठी व लुहांगियों से मारपीट की जिससे केशव के शरीर में जगह जगह मुंदी चोट आई एवं शिवम के सिर में चोट होकर खून निकल आया।

उक्त घटना की फरियादी बृजमोहन द्वारा मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने पर आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में अप०क० 13/18 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा०दं०सं० पंजीबद्ध किया गया। फरियादी पक्ष के आवासीय मकान में घुसकर लाठी व लुहांगी से की गई मारपीट की घटना में मेडीकल परीक्षण के आधार पर आहत केशव सिंह के पैराईटल के राईट फंटल बॉन में अस्थि भंग पाये जाने से आवेदक सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 326 की अभिवृद्धि की गई है और विवेचक द्वारा संयुक्त संचालक जे०ए०एच० ग्वालियर से उक्त आहत को कारित गंभीर चोटों को देखते हुये इस संबंध

में क्वेरी रिपोर्ट तलब की गई है कि क्या चोटें प्राणघातक हैं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा आवेदक की उक्त अपराध में संलिप्तता को देखते हुये आवेदक / अभियुक्त कल्ला उर्फ सुरेंद्र को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत ्रत रस्तीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।